

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 अप्रैल 2014—वैशाख 3, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2014

क्र. एफ 24-14-2013-एक-10.—यतः राज्य सरकार की यह राय है कि न्यायमूर्ति श्री राकेश सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2013 को रतनगढ़, जिला दतिया में गठित दुर्घटना की जांच हेतु एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था.

2. अतएव, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त जांच आयोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2014 को प्रतिवेदन प्रस्तुति के कारण दिनांक 23 मार्च 2014 से अस्तित्व में नहीं रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2014

क्र. एफ 24-14-2013-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की उक्त समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd April 2014

No. F. 24-14-2013-1-10.—WHEREAS the State Government is of the opinion that the continued existence of the one man Commission of inquiry of Shri Rakesh Saxena retired High Court Judge of M.P. appointed as a Single Member for inquiry of incident in the Ratangarh, District Datia *vide* notification of even number dated the 15 October 2013, Published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 15 October 2013.

2. Now, therefore, in exercise of the power conferred by Section 7 of the commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the State Government hereby, declares that the said Commission of Inquiry shall not to be in existence due to submit the report with effect from the date of 23 March 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH KOUL, Dy. Secy.